क्रम-संख्या–360(ग)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

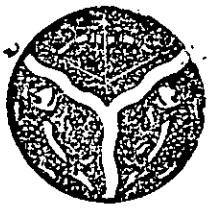

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1–खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 जून, 1979

आषाढ़ 5, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1606/सत्रह-वि-1–43-1979

लखनऊ, 26 जून, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 22 जून, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 में नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

गाय आदि के परिवहन का विनियमन जिसका उत्तर प्रदेश में वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

"5-क--(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के, और सिवाय ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड़ या बैल का

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड़ या बैल के लिए पांच रुपये से अनधिक ऐसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा यदि गाय, सांड़ या बैल का परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट छः मास से अनधिक अवधि के लिए हो।

(3) यदि अनुज्ञा-पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड़ या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, सांड़ या बैल को राज्य में वापस न लाये तो यह समझा जायगा कि उसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(4) अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप, उसके लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप और ऐसे आवेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी समय, किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है जैसा वह उचित समझे।"

धारा 8 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में, शब्द "प्रस्तुत न करें" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 5--क की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करें" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1606/XVII-V-1--43-79

Dated Lucknow, June 26, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Govadh Niwaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 26, 1979 :

THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF COW SLAUGHTER (AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. Act no. 24 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955

It is hereby enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Act, 1979.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may

2. *After* section 5 of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 5-A in U.P. Act no. 1 of 1956.

"5-A. (1) No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow, or bull or bullock, the slaughter whereof in any place in Uttar Pradesh is punishable under this Act, from any place within the State to any place outside the State, except under a permit issued by an officer authorised by the State Government in this behalf by notified order and except in accordance with the terms and conditions of such permit. Regulation on transport of cow, etc.

(2) Such officer shall issue the permit on payment of such fee not exceeding five rupees for every cow, bull or bullock as may be prescribed :

Provided that no fee shall be chargeable where the permit is for tansport of the cow, bull or bullock for a limited period not exceeding six months as may be specified in the permit.

(3) Where the person transporting a cow, bull or bullock on a permit for a limited period does not bring back such cow, bull or bullock into the State within the period specified in the permit, he shall be deemed to have contravened the provision of sub-section (1).

(4) The form of permit, the form of application therefor and the procedure for disposal of such application shall be such as may be prescribed.

(5) The State Government or any officer authorised by it in this behalf by general or special notified order, may, at any time, for the purpose of satisfying itself or himself, as to the legality or propriety of the action taken under this section, call for and examine the record of any case and pass such orders thereon as it or he may deem fit."

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2), *after* the word and figure "section 4" the words and figures "or contraavence the provision of sub-section (1) of section 5-A" shall be *inserted*. Amendment of section 8.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 90 सा० विधा०—26-6-79—(1024)—1979—650 (मेक०)।